सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 2, मंगलवार, *शाके* 1943–मार्च 23, 2021 *Chaitra 2, Tuesday, Saka 1943- March 23, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

संशोधित अधिसूचना

नागौर, जनवरी 7, 2021

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी परबतसर जिला नागौर

राजपत्र (आषाढ़ 1,सोमवार, शाके 1942-जून 22, 2020; में प्रकाशित घारा 11-राजमार्ग (एस.एच 2 डी)-परबतसर-मकराना-बिदियाद में प्रकाशित त्रृटि के संशोधित अधिसूचना

(अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 11(1) के अधीन)

दिनांक , 07 जनवरी 2021

क्र.सं	प्रकाशित त्रृटि	संशोधित जो पढ़ा जावे
1.	ग्राम किनसरिया के क्र.स. 2 खसरा न. 166 में स्वामित्व के प्रकार में नजी दर्ज है	जिसको निजी पढ़ा जावे।
2.	ग्राम परबतसर की क्र.स. 14 में खसरा न. 1259 में रकबा दर्ज नहीं है	ग्राम परबतसर की क्र.स. 13 व क्र.स. 14 का अवाप्त रकबा एक ही है जो क्र.स. 13 में दिखाया गया है।
3.	ग्राम बिदियाद की क्र.स.8 खसरा नम्बर 548 में खातेदार यामसुन्दर लिखा है	जिसका सही नाम श्यामसुन्दर है
4.	ग्राम बिदियाद की क्र.स. 26 खसरा नम्बर 1189 में खातेदार मूलाराम पुत्र कानाराम की जाति जट लिखा है	जिसको जाट पढा जावे।

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है। भूमि से संबंधित रेखांकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, परबतसर, जिला- नागौरएवं परियोजना निदेशक, (**पी.पी.पी**) **सा.नि.वि. लक्ष्मणगढ** के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान निरीक्षित किया जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, परबतसर, जिला- नागौर और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना निदेशक, (**पी.पी.पी**) **सा.नि.वि. लक्ष्मणगढ** को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या बेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन

के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है। अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, परबतसर, जिला- नागौर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात, क्रय/विक्रय, आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे मे भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, परबतसर, जिला- नागौर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति
अधिकारी
परबतसर (नागौर)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।